संख्या-87/2021/1890/26-3-2021-1(21)/2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को इतिहास संस्था के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराये जाने के उपरांत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-500-501/सक/ए0टी0एस0-सेल/(9)/ऐतिहासिक स्थल भ्रमण/2021-22, दिनांक-06.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को इतिहास संस्था के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराये जाने के उपरांत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय मद में **प्राविधानित धनराशि रू0-115.72 लाख** में से ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराये जाने के उपरांत इतिहास संस्था के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु **धनराशि रू0-24.92 लाख (रूपये-चैबीस लाख बान्नवे हजार मात्र)** के भुगतान की अनुमति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1- उक्त धनराशि का भुगतान तभी किया जाये यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सत्यापित हो। सत्यापन के आधार पर ही भुगतान किया जाये।

2- उक्त धनराशि का भुगतान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-75/दस-2021-231/2021, दिनांक-22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाये।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृ0संख्या-87/2021/1890 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in